औपचारिक क्षेत्र में 70 लाख रोज़गार अवसरों का सृजन

drishtiias.com/hindi/printpdf/seven-million-jobs-created-in-the-formal-sector-in-the-last-three-years-report

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **फ्लेक्सी-स्टाफिंग उद्योग (Flexi-Staffing Industry)** की संस्था **भारतीय कर्मचारी महासंघ (Indian Staffing Federation-ISF)** ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार बीते तीन वर्षों में हुए बड़े सुधारों और महत्त्वपूर्ण नीतियों के अनुपालन के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2018 के बीच लगभग **70 लाख रोज़गार अवसरों** का सृजन हुआ है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- यह रिपोर्ट "रोज़गार के सृजन और फ्लेक्सी-स्टाफिंग पर प्रमुख सुधारों का प्रभाव" (Impact of key reforms on job formalisation and flexi-staffing) के नाम से जारी की गई है।
- यहाँ पर फ्लेक्सी-स्टाफिंग का अर्थ अस्थायी भर्तियों से है।
- रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था ISF के अध्यक्ष के अनुसार, बीते तीन वर्षों में कई नीतियों जैसे- **मज़दूरी भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act) और EPF** आदि में बहुत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और संशोधन हुए हैं तथा औपचारिक क्षेत्र पर भी इसके प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिले हैं।
- ISF का मानना है कि औपचारिक क्षेत्र में सृजित हुए इन 70 लाख रोज़गारों के पीछे का प्रमुख कारण यही प्रभाव है।
- रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2015 से अभी तक 1.2 मिलियन कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों के रूप में रोज़गार से जोड़ा गया है।
- इसके अलावा अगले तीन वर्षों में 1.53 मिलियन अतिरिक्त कर्मचारी भी अस्थायी कर्मचारी के रूप में रोज़गार से जोड़े जाएंगे।
- रिपोर्ट के अनुसार, **औपचारिकरण (Formalisation), औद्योगीकरण (Industrialisation), शहरीकरण (Urbanisation), वित्तीयकरण (Financialisation) और स्किलिंग (Skilling)** के माध्यम से कुल मांग में वृद्धि करके रोज़गार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वर्ष 2021 तक भारत के पास 6.1 मिलियन अस्थायी कर्मचारी मौजूद होंगे।
- **रसद (logistics), बैंकिंग (Banking), वित्तीय और बीमा (Financial and Insurance), आई.टी. (IT)** एवं **सरकार** पाँच ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्ष 2021 तक कुल रोज़गार का 55 प्रतिशत हिस्सा सृजित करेंगे।

क्या है ISF?

- ISF एक सर्वोच्च संस्थान है जिसकी स्थापना का उद्देश्य निजी रोज़गार सेवाओं का प्रतिनिधित्व करना है।

- इसे कर्मचारी उद्योगों की ओर से सरकार तथा अन्य व्यापार संस्थाओं के साथ तालमेल बैठाने और बातचीत करने के लिये अधिकृत किया गया है।
- ISF द्वारा सभी सदस्य कंपनियों के लिये आचार-संहिता तैयार की गई है जिसका पालन करना सभी के लिये अनिवार्य है।

स्रोत- द हिंदू (बिज़नेस लाइन)